रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 1970/ज्येष्ठ 9, 1892

No. 203] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 1970/JYAISTHA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

ORDER

New Delhi, the 30th May 1970

S.O. 1983.—Whereas, in relation to the classes of claims mentioned in the Schedule hereto annexed, the Central Government is satified that it is customary to entrust the work of survey or loss assessment to any person other than a licensed surveyor or loss assessor, or it is not practicable to make any survey or loss assessment;

Now, therefore, in exercie of the powers conferred by sub-section (10) of section 64 UM of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby exempts the classes of claims mentioned in the said Schedule from the operation of the said section.

SCHEDULE

1. Claims under loss of profits insurance.

2. Claims under policies in respect of which documentary evidence of the value of the loss is available in the form of Police Reports, short-landing or non-delivery certificates issued by Port Trusts, Railways or other public or semi-Government authorities, claims in respect of which excise authorities give a certificate for dutiable items and sling loss claiming certified by Harbour authorities.

3. Claims of General Average under marine policies.

4. Claims of total loss or constructive total loss under agreed value insurance policies or valued policies as defined in section 29 of the Marine Insurance Act, 1963 (11 of 1963).

5. Claims under policies of motor vehicle insurance wherein the claim is on account of injury or death to third parties.

6. Claims under personal accident policies.

7. Claims under sickness insurance policies, disability insurance policies, hospitalisation policies and Workmen's Compensation Benefit Policies.

8. Claims under public liability policies including third party liability, professional indemnity, products liability and personal liability.

9. Claims under Aviation Hull insurance policies.

10. Claims under Marine Hull insurance policies which are required to be surveyed by Lloyds Surveyors.

11. Claims under engineering insurance policies.

12. Claims under Money insurance including cash in transit policies.

13. Claims under All-risks and Burglary insurance policies on personal effects and jewellery.

14. Claims under Race Horses insurance policies and Live-stock insurance Policies.

15. Claims in respect of loss or damage to crops, trees and forests.

16. Claims in respect of loss or damage to tea in transit from gardens in India.

17. Claims under policies of the nature of Bonds and Guarantees including fidelity guarantees, Bankers' Blanket policies, credit insurance, and under policies insuring contractual liability.

18. Claims under Contingency insurance policies.

19. Claims in respect of which the amount of claim is determined by recognised and well-established conventions or under agreements.

20. Claims the amount of which has been adjudicated upon or decreed by courts.

[No. F. 51(15)-INS.I/69.]

A. RAJAGOPALAN,

Officer on Special Duty
and *Ex-Officio* Joint Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मई 1970

एस० ओ० 1983.—यत: इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित दावों के वर्गों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सर्वेक्षण या] हानि निर्धारण का कार्य अनुज्ञाप्राप्त सर्वेक्षक या हानि निर्धारक से भिन्न किसी व्यक्ति को सौंपना रूढ़िगत है, अन्यथा कोई भी सर्वेक्षण या हानि निर्धारण करना साध्य नहीं है ;

अत: अब, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64 प ङ की उपधारा (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अनुसूची में वर्णित दावों के वर्गों को उक्त धारा के प्रवर्तन से एतद्द्वारा छूट देती है ।

अनुसूची

1. लाभों की हानि के बीमे के अधीन दावे।

2. उन पालिसियों के अधीन वे दावे जिनके बारे में हानि के मूल्य का दस्तावेजी साक्ष्य पुलिस रिपोर्टों, पत्तन न्यासों, रेलों या अन्य लोक प्राधिकारियों या अर्ध सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए न्यून उतराव के या अपरिदान के प्रमाण पत्रों के रूप में उपलब्ध है, वे दावे जिनके बारे में उत्पाद शुल्क प्राधिकारी शुल्क योग्य मदों के लिए प्रमाण पत्र देते है तथा बन्दरगाह प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित स्लिंग हानि के दावे।

3. सामुद्रिक पालिसियों के अधीन साधारण औसत के दावे।

4. सामुद्रिक बीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 11) की धारा 29 में परिभाषित सहमत मूल्य की बीमा पालिसियों या मूल्यांकित पालिसियों के अधीन कुल हानि के या आन्वयिक कुल हानि के दावे।

5. मोटरगाड़ी बीमा की पालिसियों के अधीन दावे जिनमें दावा पर पक्षकारों को हुई क्षति या मृत्यु के कारण है।

6. वैयक्तिक दुर्घटना पालिसियों के अधीन दावे।

7. बीमारी बीमा पालिसियों, निर्योग्यता बीमा पालिसियों, अस्पताल दाखला पालिसियों और कर्मकार प्रतिकर फायदा पालिसियों के अधीन दावे।

8. लोक दायित्व पालिसियों के अधीन दावे जिसके अन्तर्गत पर पक्षकार दायित्व, वृत्तिक क्षतिपूर्ति, उत्पाद दायित्व और वैयक्तिक दायित्व है।

9. विमानन 'हल' बीमा पालिसियों के अधीन दावे।

10. सामुद्रिक 'हल' बीमा पालिसियों के अधीन दावे जिनकी बाबत यह अपेक्षित है कि उनका सर्वेक्षण लायड्स सर्वेक्षक द्वारा किया जाए।

11. इंजीनियरिंग बीमा पालिसियों के अधीन दावे।

12. धन बीमा जिसके अन्तर्गत अभिवहन-में-नकदी पालिसियां है; के अधीन दावे।

13. वैयक्तिक बीज वस्तु और रत्नाभूषण विषयक समस्त--जोखिम और सेंधमारी बीमा पालिसियों के अधीन दावे।

14. दौड़ के घोड़ों की बीमा पालिसियों और पशुधन बीमा पालिसियों के अधीन दावे।

15. फसलों, वृक्षों और वनों को हुई हानि या नुकसान के बारे में दावे।

16. भारत में चाय बागों से अभिवहन में चाय को हुई हानि या नुकसान के बारे में दावे।

17. बन्धपत्रों और प्रत्याभूतियों, जिनके अन्तर्गत विश्वस्तता प्रत्याभूतियां है, की प्रकृति की पालिसियों, बैंकर की सर्वग्राही (ब्लैंकेट) पालिसियों प्रत्यय बीमा के अधीन और संविदागत दायित्व का बीमा करने वाली पालिसियों के अधीन दावे।

18. आकस्मिकता बीमा पालिसियों के अधीन दावे ।

19. वे दावे जिनके बारे में दावे की रकम मान्यता प्राप्त और सुस्थापित अभिसमयों द्वारा या करारों के अधीन अवधारित की जाती है ।

20. वे दावे जिनकी रकम न्यायालयों द्वारा न्याय निर्णीत या डिक्रीत हुई है ।

[सं० फा० 51 (15)-इंश्यो० I/69]

ए० राजगोपालन,

विशेष-कार्य अधिकारी तथा पदेन संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970